

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2020 / 00225 (Bank Case)

Manual no- 97/2020

एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321,एसएम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है । - प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश करण पुत्र श्री राम स्वरूप जाति कंडारा निवासी 498, साजी देहडा बस्ती , बकरा मंडी, वार्ड न. 55, आदर्श नगर, दादाबाडी जिला कोटा (राज.)-324009 (ऋणी / बंधककर्ता)
2. श्रीमति मंजु बाई करण पत्नी श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश करण जाति कंडारा निवासी 498, साजी देहडा बस्ती, बकरा मंडी, वार्ड न. 55, आदर्श नगर, दादाबाडी जिला कोटा (राज.)-324009 (सह ऋणी)
3. श्री राम स्वरूप पुत्र श्री जगन्नाथ जाति कंडारा निवासी 498-499, साजी देहडा बस्ती ,बकरा मंडी, वार्ड न. 55,आदर्श नगर,दादाबाडी जिला कोटा(राज.)-324007 (सह-ऋणी/बंधककर्ता)
4. श्रीमति लीला बाई पत्नी श्री राम स्वरूप जाति कंडारा निवासी 499, साजी देहडा बस्ती,बकरामंडी,वार्ड न. 55,आदर्श नगर,दादाबाडी जिला कोटा (राज.)-324009 (सह-ऋणी)
5. श्री राजेश कुमार मेहता पुत्र श्री मोहन लाल मेहता जाति मेहता निवासी धनेश्वर, जिला बूंदी (राज.)323022 (जमानती)
6. भागचंद मुजर पुत्र श्री बलदेव उर्फ बालाखे मुजर जाति मुजर निवासी धनेश्वर, जिला बूंदी (राज.)323022 - अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री धीरेन्द्र धाकड़, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 23.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.02.2017 को 3,00,000/- (अक्षरः रुपये तीन लाख मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक अचल सम्पत्ति श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जगन्नाथ व श्रीमति लीला बाई पत्नी श्री राम स्वरूप जाति कंडारा की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 15084 , मकान संख्या 32, साजी देहडा कच्ची बस्ती जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 987.32 वर्गफीट है । चतुःसीमा- पूर्व में- श्री साकिर का मकान , पश्चिम में-श्री नाथू लाल का मकान , उत्तर में-श्रीमति सलमा का मकान, दक्षिण में-रोड, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास द्वारा क्रमांक/नियमन-आवंटन/2013/52 दिनांक 31.03.2013 से अप्रार्थीगण रामस्वरूप एवं लीला बाई के नाम जारीसुदा है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.10.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 3,82,830 रुपये (अक्षरः- तीन लाख बयासी हजार, आठ सौ तीस रुपये मात्र) दिनांक 08.06.2019 तक व दिनांक 09.6.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)

1. प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 26.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये जो दिनांक 28.06.2019 को तामिल हुए। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 26.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये जो दिनांक 28.06.2019 को तामिल हुए। दिनांक 26.06.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल सम्पत्ति श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जगन्नाथ व श्रीमति लीला बाई पत्नी श्री राम स्वरूप जाति कंडारा की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 15084, मकान संख्या 32, साजी देहडा कच्ची बस्ती जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 987.32 वर्गफीट है। चतुःसीमा— पूर्व में— श्री साकिर का मकान, पश्चिम में—श्री नाथू लाल का मकान, उत्तर में—श्रीमति सलमा का मकान, दक्षिण में—रोड, जिसका पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास द्वारा क्रमांक/नियमन-आवंटन/2013/52 दिनांक 31.03.2013 से अप्रार्थीगण रामस्वरूप एवं लीला बाई के नाम जारीसुदा है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हों। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)